अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 38/2012** अनमोल देवी —— अपीलार्थी वनाम निजामुद्दीन एवं अन्य —— रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण **–:आदेश:–** प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुगनगंज के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 09.12.2011 ई० अंदर वाद संख्या– 69/11–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है। वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत अपीलवाद में विवादी जमीन मौजाः उदाकिशुनगंज, थाना नं0 192 अंचलः उदाकिशुनगंज खाता नं0 47 खेसरा नं0 661 रकबा 01 डी0 662 रकबा 02डी एवं 665 रकबा 6.5 डी0 चौहद्दी – उ0 – नीज, दक्षिण– सड़क कच्ची, पूरब – आलोक शर्मा वो रामचन्द्र साह, पश्चिम– सड़क कच्ची है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह कथन है कि बिहार भूमि विवाद अधिनियम 2009 के किस पारा में यह वाद दायर किया गया है निम्न न्यायालय के आवेदन में यह बात अंकित नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि रेस्पोण्डेन्ट का यह कथन कि उदाकिशुनगंज वार्ड नं0 6 में अवस्थित जामा मस्जिद की प्रश्नगत एवं अन्य जमीन है जबकि वार्ड नं0 6 में एनायत बेग की निजी मस्जिद है वो नया खाता 46 एवं 47 की कुल रकबा 1.72 एकड़ का रेस्पोण्डेन्ट जामा मस्जिद की सम्पत्ति बताते हैं जो प्रबंध कमिटी की देखरेख	

में है वो खेसरा 658 एवं 659 में सिकमी दखल मोहीउद्दीन है लेकिन खेसरा 659 परती है। खेसरा 660, 663 सिकमी दखल गुलाम मियॉ दर्ज है। खेसरा 660 मकान मय सहन, खेसरा 663 पूराना परती दर्ज है। खेसरा 661 मकान मय सहन, खेसरा 662 वो खेसरा 665 में सिकमी दखल है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रबंध कमिटी के अधीन ये सम्पत्ति कभी नहीं रहा है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि खाता 47 की कुल जमीन जामा मस्जिद का बताया गया लेकिन उक्त जमीन पर इन्दिरा आवास निर्मित है जो रेस्पोण्डेन्ट के आवेदन दिनांक 06.04.2002 से स्पश्ट होता है तो जामा मस्जिद का हक वो स्वामित्व कहॉ रह जाता है। आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत जमीन की बिक्री वास्तविक भूस्वामी ने शपथ पत्र बना दिया है कि सिकमी खाताधारी जमीन बेच भी लेते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में सिकमी खतियान एनायत बेग के नाम खाता 46 का खतियान, एनायत बेग वो रमजानी बेग के नाम खाता 26 वो खाता 169 का खतियान, पूराना खाता 350 का खतियान, आयुक्त महोदय को आसीन बेग का प्रेषित आवेदन, जामा मस्जिद की जमीन पर इन्दिरा आवास बनने संबंधी आवेदन की प्रति एवं वापसी आवेदन की प्रति, भू स्वामी का पोता आसीन बेग द्वारा जमीन बिक्री का शपथ पत्र, प्रश्नगत जमीन का निबंधित केबाला, भू स्वामी आसीन बेग का कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष घर बनाने एवं हक दिये जाने का शपथ पत्र की छाया प्रति दाखिल किया है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता अपने दावे के समर्थन में यह कथन करते हैं कि जामा मस्जिद/वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है और हाल सर्वे खतियान निम्नलिखित प्रकाशित है:–

रैयत का नाम	खाता	खेसरा	रकबा	अभ्युक्ति
मोतबली एनायत बेग पिता नादिर बेग	47	661	01 डी0	
		662	02 डी0	
		665	07 डी0	

रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि जामा मस्जिद की कुल जमीन खाता 46 एवं 47 पर कुल 01.72 ए0 जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन है वो मोतबली एनायत बेग के मरणोपरान्त मो0 समसुद्दीन सम्पत्ति की देखरेख करते थे और उनके निधन होने के बाद वर्तमान में मो0 निजामुद्दीन (रेस0–1) देखरेख कर रहे हैं वो हाल सर्वे खतियान में दर्ज सिकमी रैयत में से कोई वर्तमान में उक्त जमीन पर दखलकार नहीं है। कुल 1.72 ए0 की जमाबंदी जामा मस्जिद के नाम से चल रहा है जिसमें उपर्युक्त तीनों खेसरा सम्मिलित है वो सिकमी खाताधारी फौकी मियॉ के पोता मो0 नईमुद्दीन ने गलत तरीके से प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी अनमोला देवी के नाम निबंधित विक्रय पत्र संख्या 2366 दिनांक 29.04.11 द्वारा अंतरित कर दिया वो प्रश्नगत जमीन वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है और बोर्ड से अनुमति लेकर ही उसका अंतरण हो सकता है जो नहीं किया गया है। इतना ही नहीं रैयत खाताधारी एनायत बेग और अब उनके उत्तराधिकारी यानि वर्तमान में मोतबली बेग बिना बोर्ड की अनुमति के वक्फ बोर्ड की किसी सम्पत्ति की अंतरण नहीं कर सकते हैं। सिकमी खाताधारी या उनका वारिसान सिर्फ उपभोग कर सकते हैं अंतरण करने के लिए सक्षम ही नहीं हैं।

रेस्पोण्डेन्ट ने अपने दावे के समर्थन में मालगुजारी रसीद, अंचल अधिकारी उदाकिशुनगंज के जॉच प्रतिवेदन की प्रति एवं हाल सर्वे खतियान दाखिल किया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के विवेचनाओं के उपरान्त न्यायालय इस नि कर्श पर पहुँचती है कि पुराने खतियान में सिर्फ

रैयत का नाम है मोतबली का नहीं लेकिन किस पुराना से कौन सा नया खाता खेसरा बना है इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसलिए पुराना खतियान से कुछ नहीं प्रमाणित होता है एवं हाल सर्वे खतियान में मोतबली एनायत बेग के नाम खाता खुला है एवं उसके अभ्युक्ति कॉलम में सिकमी दखल दर्ज है वो मोतबली होने का तात्पर्य है कि यह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है मोतबली यो उनके वारिसानों का निजी सम्पत्ति नहीं है वो सिकमी दखलकार को जमीन अंतरण का अधिकार ही नहीं है।

इस प्रकार वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को बिना बोर्ड की अनुमति के बिकी करने की शक्ति किसी को नहीं है। मोतबली तो सिर्फ देखरेख करने के लिए होता है वो सिकमी दखलकार को सिर्फ उपभोग करने की शक्ति है अंतरण करने का नहीं है। अंचल अधिकारी उदाकिशुनगंज के जॉच प्रतिवेदन में भी यही तथ्य प्रतिवेदित है ।

अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है एवं निम्नन्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा